तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
17/11/25	संख्या 1521 हुई। आज वादी व वादी के अधिवक्ता वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी से खारिज किया जाता है अतः T.I. प्रा० पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। T.I. प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली अभिलेख नस्ल से नस्ती करने खारिज रूमकाद है।	